(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 28/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 15 सितम्बर 2017

विषयः दाल की निर्यात नीति–दाल (तूर दाल, मूंग और उड़द) के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक हटाने के संबंध में।

सा० आ०(अ०): विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित, दिनांक 31.03.2014 की अधिसूचना संख्या 78 (आरई–2013)/2009–2014 के पैरा 2 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

2. दिनांक 31.03.2014 की अधिसूचना संख्या 78 (आरई–2013)/2009–2014 का अधिक्रमण करते हुए निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2012 की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम संख्या 54 पर प्रविष्टि में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :–

क. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
54	0713 60 00 0713 90 10	किग्रा किग्रा	पिजन पीज (कजेनस कजन) / तूर दाल तूर दाल (टुकड़ों में)	निषिद्ध	**मुक्त**	(i) दलहनों का निर्यात संविदाओं के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में पंजीकरण के पश्चात ही अनुमत होगा ; (ii) निर्यात सीमाशुल्क विभाग के ईडीआई पत्तनों के जरिए होगा। (iii) तथापि, निर्यात भारत–बांग्लादेश और भारत–नेपाल सीमा पर गैर ईडीआई
	0713 31 00	किग्रा	विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएट (एल.) विलजेक प्रजाति की फलियां विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएट (एल.) विलजेक प्रजाति की फलियां			

						भू–सीमाशुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के जरिए भी अनुमत है बशर्ते कि मात्रा का पंजीकरण डीजीएफटी में हुआ हो। क्षेत्रीय प्राधिकारी, कोलकाता और पटना तथा ऐसे अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी जो समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, ऐसी मात्रा के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी होंगे।

3. <u>**इस अधिसूचना का प्रभाव**</u>: तूर दाल, मूंग और उड़द को आगामी आदेश तक निर्यात के लिए **'मुक्त'** रखा गया है। निर्यातक को एपीडा में संविदाओं का पंजीकरण पहले ही कराना होगा।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः– dgft@nic.in

(फा० सं०. 01/91/180/1776/एएम–10/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)